Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/117145/GZB/GHAZIABAD/6847/CFO

दिनांक: 08-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GURUKUL EDUCATION SOCIATY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **GURUKUL THE SCHOOL AT KHASRA No. 1015, 1017,VILLAGE-DASANA, NH-24,GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD**, प्लाट एरिया **10436.98 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **11133.33** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **4** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BUILDING 1	3	0	10.80 mt.
BUILDING 2	2	1	08.40 mt.
BUILDING 5	4	0	14.40 mt.
0	0	0	0 mt.

हैं। भवन का अधिभोग मैसर्स **GURUKUL EDUCATION SOCIATY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **13-05-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **DIWAKER TEWARI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **14-05-2024** से **14-05-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **GURUKUL EDUCATION SOCIATY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **GURUKUL EDUCATION SOCIATY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : यह अनापत्ति प्रमाण निम्न उपबन्धो के अधीन एनबीसी-2005 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से वर्ष मे न्यूनतम एक बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह मे भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे।2-फायर उपकरणो का वार्षिक ए0एम0सी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये।3-विधुत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।4-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तो के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तो का उल्लघंन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By

(Rahul Pal)

[AC551D1C1977602518FD17F7DCFBA9B10AD96EDA]

14-05-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-05-2024

स्थान : GHAZIABAD

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःस-ʹ'0' जे0डी0/लखनऊ-13(गा0) 170 दिनांकः मई 16 2013,

सेवा मे,

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स गुरूकुल दा स्कूल,
खसरा नं0- 1016, 1017 एनएच-24 ग्राम-डासना,
जनपद-गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स गुरूकुल दा स्कूल, खसरा नं0-1016,1017 एनएच-24 ग्राम डासना जनपद गाजियाबाद मे निर्मित शैक्षिक भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया आवेदक के प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं की कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद द्वारा किया गया एवं उनकी आख्या पत्रांकःएस-6 एफएसके/2013 दिनांकः 09-05-2013 का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार किया गया तथा दोनो आख्याओं का उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ द्वारा परीक्षण कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार विवरण निम्नवत हैः-

क-भवन की संरचनाः-

1-कुल प्लाट एरियाः-10,566. .98 वर्ग मी।

2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-3,041.39 वर्ग मी0।

3-बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-226.79 वर्ग मी0।

4-भवन की उचॉई-14.10 मीटर लगभग है।

भवन का अधिभोगः-प्रश्नगत भवन का अधिभोग शैक्षिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ख-ढांचागत व्यवस्थाऐं:-

1-पहुॅच मार्ग- भवन के सामने 60 मी0 चौडा रोड एन0बी0सी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2-प्रवेश द्वारः- भवन मे प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई 06.00 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3-सैटबेक- प्रश्नगत भवन के सैटबेक एन0बी0सी0-2005 के अनुसार चारो और 06-06 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है एवं भवन को पूर्व मान्यता प्राप्त है।

4-निकास मार्गः- प्रश्नगत भवन भूतल पर निर्मित है भवन में प्रत्येक ब्लाक में 01 स्टेयर जिनकी चौडाई 01.20 मीटर निकास मार्ग समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा भवन पूर्व मान्यता प्राप्त है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित पायी गयीः-

1-होजरीलः-प्रश्नगत भवन मे होजरील, का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाई गई।

2-टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्पः- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर 15,000 एवं 10,000 हजार ली0 क्षमता का टेरिस टैंक तथा 450/900 एल0पी0एम0 क्षमता का टेरिस पम्प कार्यशील दशा मे उपलब्ध है।

3-डाउनकमर सिस्टमः-प्रश्नगत भवन में डाउनकमर सिस्टम मानको के अनुसार स्थापित है।

4-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

5-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः-प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित है।

6-एग्जिट साईनेजः-प्रश्नगत भवन मे मानको के अनुसार एग्जिट साईनेज स्थापित है।

GURUKUL THE SCHOOL GHAZIABAD

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत की जाती है:-

1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जायें कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2- भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3- भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4- भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5- प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6- वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7- भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

GURUKUL THE SCHOOL
GHAZIABAD